उपखण्डाधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

9.9.2 वकील के सायलात एवं सायलात कोई उपयुक्त नहीं। मूलवाद OGRSCPC के अन्तर्गत खारिज किया जा चुका है। मूलवाद के कारण एवं प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं है। अतः मूलवाद की पेशानी के प्रार्थना पत्र बी सायल संख्या 3 की तलबी का स्टेप नहीं लिये जाने के कारण OGRSCPC के प्रावधानों के अन्तर्गत खारिज किया जाता है। मूलवाद खारिज होकर फाईल दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्डाधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)